पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम,1996 का 40 नं.
(24 दिसंबर 1996)

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों से संबंधित संविधान के नौवें भाग के प्रावधानों को विस्तार प्रदान करने के लिए एक अधिनियम

यह भारत के गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हो : –

लघु शीर्षक

1. इस अधिनियम को , पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 कहा जा सकता है।

परिभाषा

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ष्अनुसूचित क्षेत्रोंष् का आशय संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट रूप में अनुसूचित क्षेत्रों से है।

संविधान के नौवें भाग का विस्तार

3. भाग 4 में दिए गए अपवादों और उपांतरणों के अधीन, पंचायतों से संबंधित संविधान के नौवें भाग के प्रावधानों को एतद् द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित किया जा रहा है।

संविधान के भाग–**IX** में अपवाद एवं आशोधन

4. संविधान के ग्यारहवें भाग के अंतर्गत निहित होने के बावजूद, एक राज्य का विधानमंडल उस हिस्से के अंतर्गत कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित विशेषताओं, में से किसी के साथ असंगत हो, अर्थात :–

(क) पंचायतों पर एक राज्य का विधान जिसे बनाया जा सकता है, प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के परंपरागत प्रबंधन के तरीकों के अनुरूप किया जाएगा;

(ख) एक गांव आमतौर पर, एक बस्ती या बस्तियों के एक समूह या एक पुरवा या पुरवों के एक समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें एक समुदाय शामिल होता है जो परंपराओं और रीति–रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करता है।

(ग) हर गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वे लोग शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं;

(घ) हर ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति–रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान की प्रथागत तरीकों की सुरक्षा और संरक्षा करने के लिए सक्षम होगी;

(ड.) हर ग्राम सभा

i. इस तरह की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए आरंभ किए जाने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करेगी;

ii. गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए जिम्मेदार होगी;

(च) ग्राम स्तर पर हर पंचायत के लिए खंड (ड.) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा धन के उपयोग के लिए ग्राम सभा से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

(छ) हर पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उस पंचायत में समुदायों की आबादी के अनुपात में होगा जिसके लिए संविधान के भाग–IX भाग के अंतर्गत दिए गए आरक्षण को संदर्भित किया जाएगाय बशर्ते कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा; आगे सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएंगी;

(ज) राज्य सरकार मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर पंचायत में ऐसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होरू बशर्ते कि ऐसे नामांकन कि पंचायत में चुने जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक न हों;

(झ) विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने या ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्बहाली या पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायतों द्वारा उपयुक्त स्तर पर और अनुसूचित क्षेत्रों में परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में वास्तविक योजना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा;

(ञ) अनुसूचित क्षेत्रों में योजना और लघु जल निकायों का प्रबंधन उचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा;

(ट) पूर्वेक्षण लाइसेंस या अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए खनन पट्टे की मंजूरी से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनिवार्य कर दिया जाएगा;

(ठ) नीलामी से गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान के लिए ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश को अनिवार्य बना दिया जाएगा;

(ड) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार सौंपते समय, जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकता है, एक राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतें और ग्राम सभा में उचित स्तर पर निम्नलिखित से विशेष रूप से संपन्न हैं –

i. किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री और खपत पर निषेध लागू करने या विनियमित या सीमित करने की शक्ति;

ii. लघु वनोपजों का स्वामित्वय;

iii. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने और एक अनुसूचित जनजाति की किसी भी अवैध हस्तांतरित भूमि को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति;

iv. किसी भी नाम से गांव बाजारों का प्रबंधन करने की शक्ति;

v. अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने पर नियंत्रण करने की शक्ति;

vi. सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति;

vii. स्थानीय योजनाओं और जनजातीय उप–योजना सहित इस तरह की योजनाओं के लिए संसाधनों पर नियंत्रण की शक्ति;

(ढ) राज्य विधान सभा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उनके स्वशासन की संस्थाओं के रूप कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, ऐसा करते हुए वह यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करेगा कि उच्च स्तर की पंचायतों का निचले स्तर की पंचायतों या ग्राम सभा पर कोई दबाव न रहे।

(ण) राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था डिजाइन करते समय संविधान की छठी अनुसूची के नमूने का पालन करने का प्रयास करेगा.

पंचायतों में मौजूदा कानूनों का जारी रहना :

5. इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए अपवाद और संशोधनों के साथ संविधान के नौवें भाग का कोई भी प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी पंचायतों से संबंधित किसी कानून के किसी प्रावधान, इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से तुरंत पहले, ऐसे अपवादों के साथ जो नौंवें भाग के उपबंधों से असंगत है किसी सक्षम विधान–मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन या निरस्त करने तक या इस अधिनियम के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा;

बशर्ते कि सभी मौजूदा पंचायतें में ऐसी तारीख के ठीक पहले से उनकी अवधि की समाप्ति तक जारी रहेगी, जब तक कि उन्हें किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में, उस राज्य के विधान–मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर भंग न कर दिया जाए।

के.एल. मोहनपुरिया
सचिव, भारत सरकार